फा. संख्या 6/16/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

मामला संख्याः <u>एडी (ओआई)</u> - 15/2023

दिनांकः 22 सितम्बर 2023

विषय : चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः अथवा वहां से निर्यातित "फास्टनर" के आयात के संबंध में *सुओ मोटो* पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. संख्या 6/16/2023-डीजीटीआर - "एपीटी टूल्स एंड मशीनरी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड" (जिसे बाद में "एटीएम" के रूप में संदर्भित किया गया है) और "नॉर्दर्न इंडिया स्क्रू मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन" (इसके बाद "एसोसिएशन" के रूप में संदर्भित) से नामित प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) के समक्ष अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि फास्टनरों के भारतीय उत्पादक (जिसे बाद में "विषय वस्तुओं" या "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में संदर्भित किया जाता है) आयात की महत्वपूर्ण मात्रा के कारण क्षति हो रही हैं। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक किए गए मूल्यों पर चीन जनवादी गणराज्य (इसके बाद "विषय देश" के रूप में संदर्भित) से विषय वस्तुएं। एटीएम और एसोसिएशन ने प्राधिकरण से मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया है, और प्राधिकरण से संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी जांच शुरू करने और पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। एटीएम को 29 घरेलू उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि एसोसिएशन का दावा है कि यह लगभग 150 घरेलू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है।

2. प्राधिकरण समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क की पहचान मूल्यांकन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 के नियम 5 (4) के अनुसार भारतीय उद्योग निर्माता फास्टनरों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का संज्ञान लेता है (इसके बाद इसे "नियम" या "एडी नियम" भी कहा जाता है)।

<u>क.विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद "फास्टनर" है।

4. विचाराधीन प्रस्तावित उत्पाद के दायरे में शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं: पेंच, बोल्ट, नट, कॉइल कील, कंक्रीट कील , सी-रिंग्स, स्प्रिंग रोल क्लिप, औद्योगिक स्टेपल पिन, स्टील स्ट्रैपिंग सील, प्लास्टिक स्ट्रिप कील, केबल क्लिप कील, थोक कील, स्टील कील स्टेपल पिन, बिस्तर उपभोग्य सामग्रियां, स्टील कील, क्लिप कील, ब्रैड कील, स्टेपल और स्टेपल पिन आदि।

5. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 73, 82 और 83 के तहत 73170013, 73170019, 73181110-73181190, 73181200, 73181300, 73181400, 73181500, 73181600, 73181900, 82074090 और 83059010 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है, और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि प्रस्तावित पीयूसी को अन्य एचएस कोड के तहत आयात किया जा सकता है।

6. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं, जैसा कि इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 22 में दर्शाया गया है।

<u>ख. समान वस्तु</u>

7. पीयूसी का निर्माण करने वाले भारतीय उद्योग का दावा है कि घरेलू निर्माताओं द्वारा उत्पादित और संबंधित देश से निर्यात किए गए लेख में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और विषय देश से आयातित वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और विषय वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित विषय वस्तुएं और वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से अधीन हैं। भारतीय उद्योग ने दावा किया है कि विषय वस्तुओं के उपभोक्ता विषय वस्तुओं और भारतीय उत्पादकों द्वारा निर्मित लेख का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजनों के लिए भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित लेख को चीन जनवादी गणराज्य से आयात किए जा रहे उत्पाद के लिए लेख के समान माना गया है।

<u>ग. संबद्ध देश</u>

8. वर्तमान जांच में विषय देश चीन जनवादी गणराज्य है।

घ. जांच की अवधि

9. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (इसके बाद पीओआई के रूप में संदर्भित) 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) तक है। इसके अलावा, की जांच की अवधि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22 और जांच की अवधि प्रस्तावित की गई है।

ड. कथित पाटन का आधार

सामान्य मान

10. प्राधिकरण की सतत प्रथा चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानने की रही है, जब तक कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते हैं कि एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार विषय वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है।

11. इसलिए, वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्य से आवेदकों की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है जिसमें उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित किया गया है।

निर्यात कीमत

12. विषय वस्तुओं के लिए निर्यात मूल्य की गणना घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के साथ प्रस्तुत प्रकाशित आयात आंकड़ों से विषय वस्तुओं के सीआईएफ आयात मूल्यों के आधार पर की गई है, जिसमें समुद्री माल ढुलाई, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बंदरगाह व्यय और शुद्ध निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए बैंक शुल्क के लिए उचित समायोजन शामिल हैं।

पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया स्थापित करता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में डंप किया जा रहा है।

च. क्षति और कारणात्मक संबंध

14. भारतीय उत्पादकों ने प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन दिया है कि पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। विषय देश से विषय आयात की मात्रा पूर्ण और साथ ही सापेक्ष रूप से काफी बढ़ गई है। समग्र रूप से विषय

देश से कीमतों में कमी सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। कम क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा में गिरावट, नुकसान, बाजार शेयरों में गिरावट आदि के कारण भी एटीएम को नुकसान हुआ है।

छ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

15. एटीएम और एसोसिएशन द्वारा दायर अभ्यावेदन को एडी नियमों के नियम 5 (4) के संदर्भ में 'सूचना' के रूप में माना जा सकता है। प्राधिकरण इन अभ्यावेदनों में दी गई जानकारी की सटीकता और पर्याप्तता से संतुष्ट है। विषय वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित अभ्यावेदनों के आधार पर और संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के डंपिंग के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया सबूतों के आधार पर संतुष्टि तक पहुंचने के बाद विषय वस्तुओं की कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी नुकसान और इस तरह की क्षति और पाटित किए गए आयात के बीच कारण संबंध, और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार, प्राधिकरण, इसके द्वारा, संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक पाटनरोधी जांच शुरू करता है। जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ज. प्रक्रिया

16. वर्तमान जांच में एडी नियम, 1995 के नियम 6 के तहत निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

17. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

18. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

19. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित एक प्रस्तुति दे सकता है।

20. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

21. इच्छुक पार्टियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (**https://www.dgtr.gov.in/**) को नियमित रूप से देखते रहें और जानकारी के साथ-साथ आगे की जाँच पड़ताल प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

ञ.. समय सीमा

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

23. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

24. जहां कोई इच्छुक पक्ष प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, उसे एडी नियम, **1995** के नियम **6(4)** के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्षगोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

27. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो प्रकृति से, गोपनीय और / या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

28. हितबद्धपक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को अनिवार्य रूप से गोपनीय अंश की अनुकृति होना चाहिए जिसमें "गोपनीय सूचना" अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) होनी चाहिए और ऐसी सूचना को जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।

29. अगोपनीयसारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की पर्याप्त तर्कसंगत समझ बन सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर तक एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों को पर्याप्त और पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

30. इच्छुक पक्ष इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 22 में दर्शाए गए आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के संचलन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

31. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

<u>ठ. असहयोग</u>

32. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या बाद में

अलग-अलग संचार के माध्यम से प्रदान की गई समय अवधि में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है। जैसा कि यह उचित लगता है।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी